न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2022/34 दर्ज तिथिः–04.02.2022

1. पदमसिंह पुत्र केसरसिंह
2. जनकसिंह पुत्र केसरसिंह
3. मीठुसिंह पुत्र केसरसिंह
4. विक्रमसिंह पुत्र केसरसिंह
   जातियान राजपुत निवासी आनन्द नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर

............................वादी

बनाम

1. केसरसिंह पुत्र भेरसिंह
   जाति राजपूत निवासी आनन्द नगर तहसील गुड़ामालानी
2. मैनेजर टीएजीबी बैंक वर्तमान आर एम जी बी बैंक शाखा सड़ा।
3. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाडमेर।

..........................प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री नारायण कुमावत
प्रतिवादीः–इकबाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथिः–30.09.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आराजी हाल खसरा संख्या 182/168.11 बीघा वाके ग्राम आनंदनगर, भेडाणा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त आराजी वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता भेरसिंह की खातेदारी आराजी थी। खातेदार भेरसिंह की विरासत अनुसार केसरसिंह पुत्र भेरसिंह के हिस्से खातेदारी दर्ज हुई। इस प्रकार उक्त खातेदारी आराजी पैतृक आराजी है। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिन्दू के अंतर्गत आने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित रखते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:06:34 IST
Reason: SelfAttested

हैं। इसी अनुसार वादी वर्तमान में मौके पर काबिज काश्त है। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 उक्त आराजी को भू माफियाओं को बेचान करने पर आमादा है। अतः उक्त आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादी की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के बावजूद रजिस्टर्ड तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा इकबाली जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए–

दस्तावेज	संवत ⁄ विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 19 संवत 2072–75	प्रदर्श–01

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी
पदमसिंह पुत्र केसरसिंह	राजपूत	आनन्द नगर
तगाराम पुत्र कानाराम	कलबी	आमलियाला

4. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर प्रतिवादी के साथ वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादी की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने इकबाली जवाबदावा को दोहराते हुए दावा स्वीकार करने बाबत् अनापत्ति जाहिर की।

5. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा दो निम्न अनुतोष निवेदित किये हैं:–
    1. वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 केसरसिंह के अधिकारों के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित किया जावे।
    2. वादी के हक हिस्से में किसी प्रकार का परिवर्तन, हस्तक्षेप व बेचान, रहन नहीं करने ⁄ कराने तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

6. पत्रावली पर अनुतोषवार विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। सर्वप्रथम अनुतोष संख्या 01 जो कि निम्न प्रकार है:–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:06:34 IST
Reason: SelfAttested

1. वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 केसरसिंह के अधिकारों को हटाते हुए प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादी को सहखातेदार घोषित किया जावे।

7. प्रकरण में प्रथम अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 से संबंधित है। अतः सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***15. Khatedar tenants***— *(1) Subject to the provisions of section 16 and clause (d) of Sub-section (1) of section 180 every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenant otherwise than a sub-tenant or tenant of Khudkasht or an allottee of land under, and in accordance with, rules made under section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) or who acquires Khatedari rights in accordance with provisions of this Act or of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act VI of 1952) or of any other law for the time being in force shall be a Khatedar tenant and shall, subject to the provision of this Act be entitled to all the rights conferred; and be subject to all the liabilities imposed on Khatedar tenants by this Act:*
>
> ***Provided*** *that no Khatedari rights shall accrue under this section to any tenant, to whom land is or has been let out temporarily in Gang Canal, Bhakra, Chambal or Jawai project area or any other area notified in this behalf by the State Government.*
>
> *(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) Khatedari rights shall not accrue there under to any person to whom land had been let out before the commencement of this Act by the State Government in furtherance of the Grow More Food Campaign or under some special order subject to some specified conditions or in pursuance of some statutory or non-statutory rules and who shall have, before such commencement, made a default in securing the objective of such campaign or a breach of any such order, condition or rule.*
>
> *(3) Any person referred to in sub-section (2) may, within three years from the date of commencement of this Act and on payment of a court-fee of twenty five naye paise apply to the Assistant Collector having jurisdiction praying for a declaration that acquired Khatedari right under sub-section (1) in the land held by him.*
>
> *(4) Such application may be made on any of the following grounds, namely:*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:06:34 IST
Reason: SelfAttested

(a) that the land held by him was let out to him after the" commencement of this Act.

(b) that it was not let out to him in any of the circumstances specified in sub-section (2).

(c) that when the- land was so let out to him he was not apprised of such circumstances.

(d) that he had, before such commencement made no default or breach of the nature specified in sub-section (2).

(5) The Assistant Collector shall, upon the presentation of an application under sub-section (3), make inquiry in the prescribed manner and afford reasonable opportunity to the applicant of being heard and shall, if he does not reject the application , declare the applicant to have become Khatedar tenant of his holding in accordance with and subject to the provisions of the subsection (I).

8. प्रकरण में वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 के अंतर्गत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत अधिकार सृजित होने के आधार पर खातेदार के रूप में दर्ज होने का अनुतोष चाहा गया है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

6. Devolution of interest in coparcenary property.—

(1) On and from the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005), in a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a coparcener shall,—

(a) by birth become a coparcener in her own right the same manner as the son;

(b) have the same rights in the coparcenery property as she would have had if she had been a son;

(c) be subject to the same liabilities in respect of the said coparcenery property as that of a son, and any reference to a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener:

Provided that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December, 2004.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:06:34 IST
Reason: SelfAttested

9. उक्त उद्धरण अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अविभाजित सहदायिकी सम्पत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 के अनुसार पुत्र व पुत्री को समान अधिकार व दायित्व प्राप्त होकर सहदायिकी का दर्जा प्राप्त करने के प्रावधान है। साथ ही अविभाजित सहदायिकी सम्पत्ति में कोई सहदायक कभी भी अपना हिस्सा घोषित करवाकर पृथक हिस्सा कायम करवाने हेतु घोषणा एवं विभाजन का दावा लाकर घोषणा एवं विभाजन करवा सकता है। उक्त विधित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में तथ्य निर्विवादित है कि वादी व प्रतिवादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत हिन्दू होने के कारण प्रकरण में सम्पति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधान लागू होते हैं। साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी है। इस तथ्य को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त आराजी हिन्दू अविभाजित परिवार की अविभाजित पैतृक व सहदायिकी सम्पत्ति है। साथ ही प्रकरण में यह तथ्य भी निर्विवादित है कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 की संतान हैं। इस आधार पर वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 उक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की अविभाजित पैतृक व सहदायिकी सम्पत्ति में सहदायक हैं। अतः वादीगण उक्त अविभाजित सहदायिकी सम्पत्ति में सहदायक होने के कारण अपना हिस्सा घोषित करवाकर पृथक हिस्सा कायम करवाने हेतु घोषणा एवं विभाजन का दावा लाकर घोषणा एवं विभाजन करवाने का अधिकारी है।

10. प्रकरण में द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः–

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> > *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> > *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> > *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> > *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

11. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:06:34 IST
Reason: SelfAttested

निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

12. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

13. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–1 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जो इस प्रकार हैः–

स्वामित्व एवं कब्जा	प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक खातेदारी आराजी खसरा संख्या 182/168. 1100 बीघा वाके ग्राम भेडाणा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी कासंयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी होने से वादी के किसी निश्चित भू–भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में कथन किया जाना कानूनन अनुचित है।
सुविधा का संतुलन	मुतनाजा आराजी पर वादीकी संयुक्त खातेदारी आराजी होने के कारण वादी के किसी निश्चित भू–भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में संशय होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन वादी के पक्ष में होना स्पष्ट नहीं है।
अपूरणीय	प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक खातेदारी आराजी खसरा संख्या 182/168. 1100 बीघा वाके ग्राम भेडाणा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:06:34 IST
Reason: SelfAttested

क्षति	प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। प्रार्थी को अपूरणीय क्षति साबित करने से पूर्व संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाया जाना अपरिहार्य शर्त है।

14. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक खातेदारी आराजी खसरा संख्या 182/168.1100 बीघा वाके ग्राम भेडाणा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी होने से वादी के किसी निश्चित भू–भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में कथन किया जाना कानूनन अनुचित है। इस कारण मुतनाजा आराजी पर वादी की संयुक्त खातेदारी आराजी होने के कारण वादी के किसी निश्चित भू–भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में संशय होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन वादी के पक्ष में होना स्पष्ट नहीं है। अंत में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति साबित करने से पूर्व संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाया जाना अपरिहार्य शर्त है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाये बिना स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 182/168.1100 बीघा वाके ग्राम भेडाणा तहसील गुड़ामालानी में वादीगण को उक्त अविभाजित सहदायिकी सम्पत्ति में सहदायक होने के कारण अपना हिस्सा घोषित करवाकर पृथक हिस्सा कायम करवाने हेतु घोषणा एवं विभाजन का दावा लाकर घोषणा एवं विभाजन करवाने का अधिकारी मानते हुए मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार 1/10 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। वादी को उक्त आराजी में कानूनन हक हिस्से तक संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:06:34 IST
Reason: SelfAttested

आज 30.09.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:06:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2022/34 दर्ज तिथिः–04.02.2022

1. पदमसिंह पुत्र केसरसिंह
2. जनकसिंह पुत्र केसरसिंह
3. मीठुसिंह पुत्र केसरसिंह
4. विक्रमसिंह पुत्र केसरसिंह
   जातियान राजपुत निवासी आनन्द नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर

.............................वादी

बनाम

1. केसरसिंह पुत्र भेरसिंह
   जाति राजपूत निवासी आनन्द नगर तहसील गुड़ामालानी
2. मैनेजर टीएजीबी बैंक वर्तमान आर एम जी बी बैंक शाखा सड़ा।
3. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाडमेर।

...........................प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री नारायण कुमावत
प्रतिवादीः–एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–ःपर्चा डिक्रीः–

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 182/168.1100 बीघा वाके ग्राम भेडाणा तहसील गुड़ामालानी में वादीगण को उक्त अविभाजित सहदायिकी सम्पत्ति में सहदायक होने के कारण अपना हिस्सा घोषित करवाकर पृथक हिस्सा कायम करवाने हेतु घोषणा एवं विभाजन का दावा लाकर घोषणा एवं विभाजन करवाने का अधिकारी मानते हुए मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार 1/10 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:06:34 IST
Reason: SelfAttested

को उक्त आराजी में कानूनन हक हिस्से तक संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 30.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.05 14:06:34 IST
Reason: SelfAttested